

2024 का विधेयक संख्यांक 275

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हन्ड्रेड एंड ट्वेन्टी-नाइन्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024 का
हिन्दी अनुवाद]

**संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन)
विधेयक, 2024**

भारत का संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ उनतीसवां
संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

5

नए अनुच्छेद 82क का अंतःस्थापन ।

लोक सभा और सभी विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 82 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'82क. (1) भारत के राष्ट्रपति साधारण निर्वाचन के पश्चात् लोक सभा की पहली बैठक की तारीख को लोक अधिसूचना जारी करके इस अनुच्छेद के उपबंध को प्रवृत्त कर सकेंगे, और अधिसूचना की उस तारीख को नियत तारीख कहा जाएगा ।

(2) अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी, नियत तारीख के पश्चात् और लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति के पूर्व होने वाले किसी भी साधारण निर्वाचन में गठित सभी विधान सभाएं लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी ।

(3) इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी, और लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति के पूर्व, निर्वाचन आयोग लोक सभा और साथ ही सभी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों का संचालन करेगा और भाग 15 के उपबंध इन निर्वाचनों पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो आवश्यक हों और जिन्हें निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(4) पद "एक साथ निर्वाचन" से लोक सभा और सभी विधान सभाओं को एक साथ गठित करने के लिए कराए गए साधारण निर्वाचन अभिप्रेत होंगे ।

(5) यदि निर्वाचन आयोग की राय है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन के साथ किसी विधान सभा के निर्वाचन नहीं कराए जा सकते हैं, तो वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकेगा कि वह आदेश द्वारा यह घोषणा करे कि उस विधान सभा का निर्वाचन किसी पश्चातवर्ती तारीख पर कराया जा सकेगा ।

(6) जहां किसी विधान सभा के निर्वाचनों को खंड (5) के अधीन आस्थगित कर दिया जाता है, तो अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी, विधान सभा की पूर्ण अवधि उसी तारीख को समाप्त होगी, जिस दिन साधारण निर्वाचन में गठित लोक सभा की पूर्ण अवधि समाप्त होगी ।

(7) निर्वाचन आयोग इस अनुच्छेद के अधीन विधान सभा के निर्वाचन को अधिसूचित करते समय उस तारीख की घोषणा करेगा, जिसको विधान सभा की पूर्ण अवधि समाप्त होगी ।'

3. संविधान के अनुच्छेद 83 में, खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) लोक सभा की पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि को लोक सभा की पूर्ण अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) जहां लोक सभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले ही विघटित हो जाती है, तो उसके विघटन की तारीख और उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष के बीच की अवधि को उसकी समाप्त नहीं हुई शेष अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां लोक सभा को उसकी पूर्ण अवधि की समाप्ति के पहले ही विघटित कर दिया जाता है, ऐसे विघटन

अनुच्छेद 83 का संशोधन ।

5

10

15

20

25

30

35

40

के कारण होने वाले निर्वाचनों के अनुसरण में गठित नई लोक सभा, जब तक कि पहले ही विघटित न हो जाए, ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो ठीक पूर्ववर्ती लोक सभा के पहले की समाप्त नहीं हुई शेष अवधि के बराबर हो और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

5 (6) खंड (5) के अधीन गठित लोक सभा पूर्ववर्ती लोक सभा की निरंतरता में नहीं होगी तथा विघटन के सभी परिणाम खंड (4) में निर्दिष्ट लोक सभा को लागू होंगे ।

10 (7) लोक सभा की समाप्त नहीं हुई शेष अवधि के लिए इसके गठन हेतु निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और पूर्ण अवधि की समाप्ति के पश्चात् होने वाले निर्वाचन को साधारण निर्वाचन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।”।

4. संविधान के अनुच्छेद 172 में,—

अनुच्छेद 172 का संशोधन ।

(क) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

15 “(1क) राज्य विधान सभा की पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि को राज्य विधान सभा की पूर्ण अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।”;

(ख) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

20 “(3) जहां राज्य विधान सभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले ही विघटित हो जाती है, तो उसके विघटन की तारीख और उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष के बीच की अवधि को उसकी समाप्त नहीं हुई शेष अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

25 (4) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य विधान सभा को उसकी पूर्ण अवधि की समाप्ति के पहले ही विघटित कर दिया जाता है और ऐसे विघटन के कारण होने वाले निर्वाचनों के अनुसरण में नई राज्य विधान सभा का गठन किया जाता है, तो ऐसी नई राज्य विधान सभा जब तक कि पहले ही विघटित न हो जाए, ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो ठीक पूर्ववर्ती राज्य विधान सभा की पहले की समाप्त नहीं हुई शेष अवधि के बराबर हो और इस अवधि की समाप्ति विधान सभा के विघटन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

30

(5) खंड (4) के अधीन गठित राज्य विधान सभा पूर्ववर्ती राज्य विधान सभा की निरंतरता में नहीं होगी तथा विघटन के सभी परिणाम खंड (3) में निर्दिष्ट राज्य विधान सभा को लागू होंगे ।”।

35 5. संविधान के अनुच्छेद 327 में, “निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन”, शब्दों के पश्चात्, “, एक साथ निर्वाचन कराना”, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 327 का संशोधन ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन वर्ष 1951-52, वर्ष 1957, वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में एक साथ कराए गए थे। तथापि, वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधान सभाओं के समयपूर्व विघटन के कारण, लोक सभा के साथ एकसाथ मतदान कराने का चक्र भंग हो गया। भारत के विधि आयोग ने 'निर्वाचन विधियों में सुधार' पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया कि राज्य विधान सभाओं के लिए पृथक् निर्वाचन कराना नियम के बजाए अपवाद होना चाहिए। आयोग के अनुसार, साधारण नियम लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार एक साथ निर्वाचन कराना होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन कराने की साध्यता का परीक्षण किया था और यह सिफारिश की थी कि एक साथ निर्वाचन कराने की वैकल्पिक और व्यवहार्य पद्धतियों की आवश्यकता है तथा यह विश्वास व्यक्त किया था कि निर्वाचन प्रक्रियाओं की बारम्बारता को कम करने के लिए कोई समाधान खोज लिया जाएगा।

2. विभिन्न कारणों से तथा निर्वाचन महंगे और समय लेने वाले हो गए हैं, इसलिए, एक साथ निर्वाचन करवाने की अत्यंत आवश्यकता है। देश के मतदान की प्रक्रिया वाले कई हिस्सों में आदर्श आचार-संहिता का अधिरोपण संपूर्ण विकास कार्यक्रमों पर रोक लगा देता है, सामान्य जनजीवन में व्यवधान पैदा करता है, सेवाओं के कार्यकरण को प्रभावित करता है और निर्वाचन ड्यूटी के लिए लंबी अवधियों हेतु जनशक्ति की तैनाती से उनके मूल क्रियाकलापों में संलग्न होने को भी कम करता है।

3. देश में एक साथ निर्वाचनों के मुद्दे की समीक्षा करने और एक साथ निर्वाचन कराने की सिफारिशें करने के लिए तारीख 2 सितम्बर, 2023 को श्री रामनाथ कोविंद, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। सम्यक् विचार-विमर्श तथा अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री की जांच करने और इस विषय पर हुए परामर्शों के पश्चात्, समिति ने 14 मार्च, 2024 को माननीय राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

4. उच्च स्तरीय समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि पहले प्रक्रम में लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराए जाने चाहिए। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक विधेयक अर्थात्, संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 प्रस्तावित है, जो लोक सभा और सभी विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराने का उपबंध करता है।

5. विधेयक एक नए अनुच्छेद 82क (लोक सभा और सभी विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन) को अंतःस्थापित करने तथा अनुच्छेद 83 (संसद् के सदनों की अवधि), अनुच्छेद 172 (राज्यों के विधान मंडलों की अवधि) तथा अनुच्छेद 327 (विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

6. उपर्युक्त विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करता है कि इसके अधिनियमन के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा साधारण निर्वाचन के पश्चात् लोक सभा की पहली बैठक की तारीख को एक अधिसूचना जारी की जानी है तथा अधिसूचना की वह तारीख नियत तारीख के नाम से ज्ञात होगी। लोक सभा का कार्यकाल उस नियत तारीख से पांच वर्ष होगा। नियत तारीख के पश्चात् तथा लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति के पूर्व विधान सभाओं के निर्वाचनों द्वारा गठित सभी विधान सभाओं का कार्यकाल, लोक सभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात्, लोक सभा और सभी विधान सभाओं के सभी साधारण निर्वाचन एक साथ कराए जाएंगे। लोक सभा या विधान सभा की पूर्ण अवधि से पहले ही लोक सभा या विधान सभा के विघटन की दशा में, निर्वाचनों के अनुसरण में गठित लोक सभा या विधान सभा की अवधि लोक सभा या विधान सभा की समाप्त नहीं हुई शेष अवधि के लिए होगी।

7. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
12 दिसम्बर, 2024

अर्जुन राम मेघवाल

उपबन्ध

भारत का संविधान से उद्धरण

* * * * *

विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति ।

327. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद् समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबन्ध कर सकेगी ।

* * * * *